रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 517] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 26, 1985/कार्तिक 4, 1907
No. 517] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 26, 1985/KARTIKA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1985

का.आ. 787(अ) :—पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पूर्वी क्षेत्र) जो साधारणतया पी एल ए के नाम से ज्ञात है, पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलीपक (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रेपक कहा गया है) और उसकी "रैड आर्मी" तथा प्रेपक की अन्य शाखाएं भी, जैसे, कांगलीपक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी) और उसकी सशस्त्र विंग जो "रैड आर्मी" भी कहा जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् मैतेई उग्रवादी संगठन कहा गया है),—

(i) अपने उद्देश्य के रूप में खुले रूप से घोषणा कर चुके हैं कि वे एक स्वतंत्र मणिपुर का गठन करेंगे जिसमें मणिपुर का राज्य समाविष्ट होगा तथा जिन्होंने उक्त राज्य के भारत के संघ से विलग करने के अपने उद्देश्य के अनुसरण में हिंसात्मक कार्रवाइयां आरम्भ कर दी हैं तथा ऐसे इश्तहार भी निकाले हैं कि वे तब तक भारतीय साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ते रहेंगे जब तक कि उनके उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते;

(ii) सशस्त्र बलों, अर्थात्, पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी, रैड आर्मी के नाम से ज्ञात बल तथा उनके द्वारा स्थापित अन्य निकायों का उपयोग अपने उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं;

(iii) अपने उपर्युक्त उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए उक्त सशस्त्र बलों का उपयोग मणिपुर के राज्य के सुरक्षा बलों और सिविल सरकार तथा नागरिकों पर आक्रमण करने के लिए कर रहे हैं, और सिविल आबादी के विरुद्ध लूट और अभित्रास तथा अपने संगठनों के लिए निधि संग्रह करने के कार्यों में लगे हुए हैं;

(iv) अपने उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, शस्त्र और प्रशिक्षण के रूप में सहायता पाने के लिए, विदेशों के साथ संपर्क करने के अपने प्रयास पुन: आरम्भ कर चुके हैं;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उपर्युक्त कारणों से मैतेई उग्रवादी संगठन और उनके द्वारा गठित अन्य निकाय, जिनके अंतर्गत ऊपर नामित सशस्त्र समूह भी हैं विधिविरुद्ध संगम हैं;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय भी है कि उपर्युक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों के सशस्त्र समूहों द्वारा पुलिस बलों और सिविल

आबादी पर हमलों और हिंसा के लगातार कार्यों के कारण यह आवश्यक है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों और उनके द्वारा स्थापित अन्य निकायों को, जिनके अंतर्गत पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और रैड आर्मी के नाम से ज्ञात निकाय भी हैं, तुरन्त प्रभावी रूप से विधिविरुद्ध घोषित किया जाए।

अतः, केन्द्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पूर्वी क्षेत्र), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलेईपाक और उसकी रैड आर्मी, तथा प्रेपाक के [illegible] कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी और उसका सशस्त्र विंग, जो रैड आर्मी भी कहलाता है और उनके द्वारा स्थापित अन्य निकायों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है, और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11/9/85-एन ई-1]

आर. वासुदेवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1985

S.O.787(E).—Whereas the People's Liberation Army (Eastern Region), generally known as the PLA, the People's Revolutionary Party of Kangleipak (hereinafter referred to as PREPAK) and its 'Red Army' as also the offshoots of PREPAK like the Kangleipak Communist Party (K.C.P.) and its armed wing also called the 'Red Army' (hereinafter referred to as the Meitei Extremist Organisations)—

(i) have openly declared as their objective the formation of an independent Manipur comprising the State of Manipur and have resorted to violent activities in pursuance of their objective to bring about secession of the said State from the Union of India and have also brought out leaflets that they will go on fighting against the Indian Imperialist Forces until their objectives are attained;

(ii) have been employing [illegible] the so-called People's Liberation Army, the Red Army and the other bodies set up by them, to achieve their aforesaid objective;

(iii) have in furtherance of their aforesaid objective been employing the said armed forces in attacking the Security Forces and the Civil Government and the citizens in the State of Manipur, and indulging in acts of looting and intimidation against the civilian population and collection of funds for their organisations;

(iv) have, to achieve their aforesaid objective, made some efforts to resume their contacts with foreign countries for securing assistance by way of arms and training;

And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Meitei Extremist Organisations and other bodies set up by them, including the armed groups named above, are unlawful associations;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of the repeated acts of violence and attacks by armed groups of the aforesaid Meitei Extremist Organisations on the police forces and on the civilian population, it is necessary to declare the Meitei Extremist Organisations and the other bodies set up by them, including the so-called People's Liberation Army and the Red Army, to be unlawful with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the People's Liberation Army (Eastern Region), People's Revolutionary Party of Kangleipak, and its Red Army, as also offshoots of PREPAK like the Kangleipak Communist Party and its armed wing, also called the Red Army and other bodies set up by them to be unlawful associations, and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 11/9/85-NE.-I]

R. VASUDEVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985